JALAUN POLICE

दिनांक – 11.09.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस द्वारा डॉयल-112 पर रुपये लूट की झूठी सूचना देने वाले 01 व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए तथा 70,830/- रुपये बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 09.09.2025 को सूचनाकर्ता सौरभ यादव पुत्र सूरज यादव निवासी ग्राम खरका थाना कुठौंद जनपद जालौन द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी कि मै फाइनेंस कंपनी प्राइवेट में कलेक्शन एजेंट का काम करता हूँ । ग्राम मिनौरा के पास दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा किस्त के कलेक्शन के करीब एक लाख रुपए (100,000/- रुपये) लूट ले गए हैं ।

उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच/पूंछताछ करने पर पाया कि सौरभ यादव उपरोक्त द्वारा कलेक्शन किए हुए रूपयों को अपने साथी अंकित यादव पुत्र स्व0 बृजभान निवासी ग्राम लहार कनर थाना सिरसाकलार जनपद जालौन और बुआ के लड़के संस्कार पुत्र इंदल ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन को देकर अपने गांव खरका भेज दिया था ।

पुलिस को लूट की झूठी सूचना देकर गुमराह करने के संबन्ध में कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 533/25 धारा 212 बीएनएस बनाम सौरभ यादव पुत्र सूरज यादव निवासी ग्राम खरका थाना कुठौंद जनपद जालौन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 70,830/- रुपये बरामद कर आरोपी सौरभ यादव पुत्र सूरज यादव निवासी ग्राम खरका थाना कुठौंद जनपद जालौन को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

112 पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है । कृपया इसका दुरुपयोग न करें ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सौरभ यादव पुत्र सूरज यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कुठौंद जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. 70830/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी कोतवाली उरई मय टीम